नोटिस

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम,2009 के नियम 17 के मामले में। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के मामले में और टीआईडब्ल्यू एक्जीक्यूटिव्स एलएलपी (''एलएलपी'') के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय बी1/638ए, द्वितीय तल जनकपुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110058 में है।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि टीआईडब्ल्यू एक्जीक्यूटिव्स एलएलपी ने सीमित देयता भागीदारी नियम,2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 4वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को **''बी 1/638ए, द्वितीय तल जनकपुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली– 110058'' से ''द्वितीय तल, इंस्पायर हब्स, वेस्टर्न हाइट्स, फोर बंगलोज, विलेज अंबिवली, जे.बी. रोड, गुरुद्वारा के सामने, अंधेरी पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र, 400053 में ''** अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य में बदलने की अनुमति मांगी है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह अपनी आपत्तियों को हलफनामे के साथ अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार को व्यक्त करते हुए, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर, वितरित कर सकता है या वितरित करवा सकता है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 4वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के कार्यालय को पंजीकृत डाक से भेज सकता है,इसकी एक प्रति ऊपर बताए गए पते पर हमारे पंजीकृत कार्यालय में भी भेज सकता है।

कृते एवं आवेदक की ओर से
टीआईडब्ल्यू एक्जीक्यूटिव्स एलएलपी
पुण्यश्लोक दह्याभाई भक्त
नामित भागीदार
डीपीआईएन : 01903706

टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क,
गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट प्ट के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक अ–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधि. नियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013 और नई दिल्ली में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है। कि आदेशों दिनाँकित 24.11.2023 के द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ताओं के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") के बीच हस्तांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना (''उक्त योजना'') को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ 01.01.2024 की प्रभावी तिथि से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, हित, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ एक चलायमान कंपनी के रूप में टीसीएल के साथ संविलित हो गए हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया, आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल उसके अनुसार (उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं) से उसका दावा करने की अधिकारी है।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि. नियम 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना– 08.05.2024 निर्गत की है, जिसमें उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लिखित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण, राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है।

विशेष रूप में उधारकर्ताओं और सामान्य रूप में सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन, निम्न तालिका में संदर्भित एक राशि तथा मांग सूचना की तिथि से राशि पर नियत ब्याज एवं दांडिक ब्याज, लागतों, शुल्कों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

(उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

ऋण खाता संख्या(यें)	दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना(ओं) की राशि तथा तिथि भौतिक अधिग्रहण की तिथि
8889137	1. जितेंद्र तनेजा उपनाम जितेन्दर अरोड़ा पुत्र नानक चंद, पता : जी–128, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, दिल्ली–110092, अन्य पता यहां पर भी : मकान–1/20 भूखण्ड सं. 20, सेक्टर–63, एन.आर. पार्क नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, 2. चंदर प्रकाश अरोड़ा पुत्र नानक चंद अरोड़ा, पता : जी–128, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, दिल्ली–110092, 3. नानक चंद पुत्र हवन दास, पता : जी–128, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, दिल्ली–110092, सीसी टु आईआरपी. श्री प्रभजीत सिंह सोनी (समाधान व्यवसायी) 9810262299, 9310262298, जीजी–1/144, सी तृतीय तल, पीवीआर सिनेमा के पास, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018, ईमेल :– RPJNCCONS@GMAIL.COM. IPPSSONI@GMAIL.COM	**रु. 6,85,93,539/– तथा 08.05.2024** **28.09.2024**

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : अनुसूची–ए : संपूर्ण प्रथम तल, तथा द्वितीय तल टेरेस अधिकारों के साथ (उक्त तल के), संपत्ति / भूखंड सं. जी–141 पर निर्मित, ब्लॉक–जी, क्षेत्र मापन 192 वर्ग गज, प्रीत नगर सीएचबीएस लि. के लेआउट प्लान में, वर्तमान में जिसे प्रीत विहार के नाम से जाना जाता है, ग्राम मंडावली फजलपुर के क्षेत्र, इलाका शाहदरा, दिल्ली – 110092 में स्थित, अधिक विशिष्ट रूप में उस विक्रय विलेख में वर्णित है जो कि प्रलेख सं. 2410, बही सं. I, खंड सं. 2819, पृष्ठ सं. 107 से 111 पर 14–05–1996 को पंजीकृत तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर– सर्विस लेन, पूर्व– भूखंड सं. 142, दक्षिण– सड़क 30 फुट चौड़ी, पश्चिम– भूखंड सं. 40

दिनाँक : 01/10/2024
स्थान : दिल्ली

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
कृते टाटा कैपिटल लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता : 3सरा तल, साइबर हाइट्स, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सम्बन्धित कर्जदार/रों से सूचनाओं की तिथि(यों)/कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए खातों के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/रों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा कर्जदार/रों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा ऋण अनुबन्ध के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	NHL/LUC/1017/442009 शा.का. : लखनऊ	दिलीप कुमार मधनानी के सभी विधिक उत्तराधिकारी, श्रीमती विमला मधनानी	19/06/2024	रु. 19,30,600.95 (रुपये उन्नीस लाख तीस हजार छह सौ और पैसे पंचानबे मात्र)	28.09.2024 (सांकेतिक)	ऑफिस स्पेस नंबर 211–बी, अपर ग्राउंड फ्लोर, के ट्राइडेंट 10, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में संपत्ति का समस्त भाग। संपत्ति का क्षेत्रफल 26.673 वर्ग मीटर (सुपर एरिया) पूर्वः यूनिट नंबर 211–ए, पश्चिमः यूनिट नंबर 212, उत्तरः कॉरिडोर दक्षिणः सेटबैक/पैसेज
2.	HOU/LUC/0916/316434 शा.का. : लखनऊ	श्री केशव त्रिपाठी तथा श्रीमती साधना त्रिपाठी	16-05-2024	रु. 27,08,621.50 (रुपये सत्ताईस लाख आठ हजार छह सौ इक्कीस और पैसे पचास मात्र) 16/05/2024 तक	26/09/2024 (सांकेतिक)	चालान नंबर 140, डी–2/106, टाइप ए, सेक्टर 7डी, सरयू एन्क्लेव, अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, शहीद पथ, लखनऊ

स्थान : लखनऊ, दिनांक : 30.09.2024

अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार एवं गारंटर को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
ऋणधारक : **श्री अखिलेश कुमार दुवेदी, पुत्र श्री कृष्ण कुमार दुवेदी** **पता :** आरसी–258, दूसरा तल, आजाद विहार, खोड़ा कॉलोनी, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201309 **साथ ही :** 803, तल–8, टावर–टी–4, मोरफियस ब्लू बेल, प्लॉट नं.2, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. **नेट एम्बिट वैल्यूफर्स्ट सर्विसेस प्रा.लि.** प्लॉट नं. सी–171/2, सेक्टर–15, नोएडा, उत्तर प्रदेश **आवास ऋण खाता सं.** 5540366724	(प्रतिभूत परिसम्पत्ति/गिरवी सम्पत्ति/हाइपोबेकेटेड सामग्रियों का विस्तृत विवरण **अचल सम्पत्ति : क** **श्री अखिलेश कुमार दुवेदी, पुत्र श्री कृष्ण कुमार दुवेदी** के नाम में फ्लैट नं. 803, टावर–टी–4, मोरफियस ब्लू बेल, प्लॉट नं.2, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. एरिया–925 वर्ग फीट	**13(2) सूचना की तिथि : 7.9.2024** **एनपीए : 4.9.2024** **रु. 39,45,623.06** **(रु. उन्तालिस लाख पैंतालिस हजार छः सौ तैईस पैसे छः मात्र)** + उस पर अनुवांशिक खर्चे, चार्जेज, लागत आदि के साथ सूचना की तिथि 9.9.2024 से सम्पूर्ण तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक अनुसूची ए में वर्णित लागू ब्याज दर पर आगे के ब्याज के साथ ब्याज।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 30/09/2024
स्थान: ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0

(प्राधिकृत अधिकारी)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक Canara Bank

दक्षिणी दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, वर्धमान टॉवर, डीडीए बिल्डिंग,
नेहरू प्लेस–110019
rosdelrec@canarabank.com

परिशिष्ट–2
मांग सूचना [धारा 13(2)]
कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को

संदर्भ सं. : SARFAESI/19087/IK/DN/2024-25 **तिथि :** 24.09.2024

सेवा में,
1. **इसरार खान (कर्जदार)**, जी 12/442 संगम विहार, अजनौली पुष्प भवन, दिल्ली–110062
2. **साई आरा (सह–कर्जदार)**, जी 12/262 संगम विहार, तालीमाबाद पुष्प भवन, दिल्ली–110062

विषयः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना।

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात 'अधिनियम' सन्दर्भित) के तहत नियुक्त केनरा बैंक (इसके बाद 'प्रतिभूत लेनदार' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते आपको यह नोटिस जारी करता हूं :

श्री इसरार खान और श्रीमती साई आरा (जिन्हें आगे 'कर्जदार' 1 कहा जाएगा) ने नीचे अनुसूची ए में बताई गई ऋण सुविधा/सुविधाओं का लाभ उठाया है और प्रतिभूत ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति समझौते/समझौते किए हैं। उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय, आपने ऊपर उल्लिखित समझौतों की शर्तों और नियमों के अनुसार ऋण राशि/राशि चुकाने का स्पष्ट रूप से वचन दिया है।

आप (अनुसूची बी में उल्लिखित व्यक्ति) प्रतिभूत परिसंपत्तियों के खिलाफ भी समझौते करते हैं, जिनका विवरण नीचे अनुसूची बी में दिया गया है।

हालाँकि, नवंबर 2020 से, उक्त वित्तीय सहायता / ऋण सुविधाओं का संचालन और संचालन अनियमित हो गया है। प्रतिभूत परिसंपत्तियों द्वारा प्रबंधित खाते की पुस्तकों से पता चलता है कि 24.09.2024 तक प्रतिभूत लेनदार के प्रति कर्जदार की देनदारी रु. 2,96,072.29 (रुपये दो लाख छियानवे हजार बहत्तर और उनतीस पैसे) है, जिसका विवरण नीचे अनुसूची सी में दिया गया है। यह भी कहा गया है कि कर्जदार/गारंटर दिए गए समय के भीतर प्रतिभूति लेनदार के बकाए को चुकाने में उपरोक्त समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं, और बकाया राशि का निपटान करने में टालमटोल कर रहे हैं। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा/यों का संचालन और संचालन ठप्प हो गया है और मूल ऋण/किस्त और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, प्रतिभूत लेनदार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 30.01.2021 तक ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य किया गया था।

इस नोटिस के माध्यम से प्रतिभूति ऋणदाता आपके ध्यान में लाता है कि कर्जदार उक्त बकाया/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहा है और इसकी उपेक्षा की है और इसलिए इस नोटिस को जारी करके अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपसे मांग करता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूति ऋणदाता को अनुसूची सी में वर्णित कर्जदार की देनदारियों का पूरा भुगतान करें। इसके अलावा, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि आप प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों और आकस्मिक खर्चों के साथ-साथ बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि यदि आप प्रतिभूति ऋणदाता को 24.09.2024 तक रु. 2,96,072.29 (रुपये दो लाख छियानवे हजार बहत्तर और उनतीस पैसे) की उपरोक्त राशि, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के अनुसार ऊपर बताए गए ब्याज और आकस्मिक व्यय और लागतों सहित चुकाने में विफल रहते हैं, तो प्रतिभूति ऋणदाता धारा 13 की उपधारा (4)(ए) और (बी) के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसका उद्धरण इस मुद्दे की गंभीरता को बताने के लिए नीचे दिया गया है:

13(4)–यदि कर्जदार/गारंटर उप–धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या उससे अधिक उपायों का सहारा ले सकता है, अर्थात्;

(क) प्रतिभूत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदार/गारंटर की प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेना;

(ख) प्रतिभूत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदार के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना;

बशर्ते कि पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग केवल वहीं किया जाएगा जहां कर्जदार के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा ऋण के लिए प्रतिभूत के रूप में रखा गया हो;

बशर्ते यह भी कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग किया जा सकता है, प्रतिभूत लेनदार उधारकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा जो ऋण के लिए प्रतिभूति; तथा कथित अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत से संबंधित है;

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13(13) के अनुसार कर्जदार/गारंटर प्रतिभूत लेनदार की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा अनुसूची बी में वर्णित उक्त प्रतिभूत संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। यह आगे आपके ध्यान में लाया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/बाध्यता का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है और यदि किसी कारण से, प्रतिभूत परिसंपत्तियां सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय प्रतिभूत लेनदार के पास जमा की जाएगी। इस संबंध में आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित लेखा–जोखा प्रस्तुत करना होगा।

मांग का यह नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा, जो प्रतिभूत लेनदार के पास आपके द्वारा देय और बकाया राशि के लिए आगे की मांग सहित हो सकता है।

यह अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभूत लेनदार के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव से रहित है।

कृपया इस नोटिस के तहत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। गैर–अनुपालन के मामले में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

अनुसूची–ए
[कर्जदार द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधाओं का विवरण]

क्र.सं.	शाखा	ऋण संख्या	ऋण/सीमा की प्रकृति	स्वीकृति की तिथि	राशि
1.	डीटीसी डिपो कालकाजी	90879790000043	वाहन ऋण	31.12.2016	Rs.6,00,000.00

अनुसूची–बी

क्र.सं.	चल	स्वामित्व धारक का नाम
1	**हुंडई आई20 अस्टा वीटीवीटी पेट्रोल** **पंजीकरण सं. DL12CL0198** **चेसिस नं. MALBM51BLGM320895** **इंजन नं. G4LAGM245069** **रंग : स्लीक सिल्वर**	**इसरार खान**

अनुसूची सी
[देयताओं का विवरण]

क्र.सं.	ऋण संख्या	ऋण/सीमा की प्रकृति	तिथि 29.04.2024 तक ब्याज सहित देयता	ब्याज की दर
1	90879790000043	वाहन ऋण	रु. 2,96,072.29	8.75 + 2% दण्डात्मक ब्याज

अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक

...continued from previous page.

Explanation for Issue Price / Cap Price being [●] times of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out in [●] above) along with our Company's key performance indicators and financial ratios for the 1M FY24, FY 24, FY23 and FY22.

[●]*

Explanation for Issue Price / Cap Price being [●] times of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out in [●] above) in view of the external factors which may have influenced the pricing of the Issue.

[●]*

The Issue Price will be [●]* times of the face value of the Equity Shares.

The price band of ₹ [●]* has been determined by our Company, in consultation with the BRLMs, on the basis of the market demand from investors for the Equity Shares through the Book Building Process. Our Company, in consultation with the BRLMs, is justified of the Issue Price in view of the above qualitative and quantitative parameters. Bidders should read the abovementioned information along with the sections entitled ***"Risk Factors"***, ***"Our Business"***, ***"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations"*** and ***"Financial Information"*** on pages 33, 160, 309 and 242 of the RHP, respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the section entitled ***"Risk Factors"*** on page 33 of the RHP or any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments.

*To be included at Prospectus Stage

For further details, please see *"Basis of Offer Price"* beginning on page 122 of the RHP.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

*Applications Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA.
Mandatory in public issues.
No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non Institutional Investor applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. Retail Individual Investors and Non-Institutional Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021, CBDT Circular No. 7 of 2022 dated March 30, 2022 read with the press release dated March 28, 2023.

*ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Bidders in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Bidders with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in the Bid Cum Application Form and abridged prospectus and also please refer to the section **"Offer Procedure"** on page 361 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("**AIBI**") and Stock Exchanges and in the General Information Document. The Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can be downloaded from the websites of BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes &intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. HDFC Bank Limited and ICICI Bank Limited have been appointed as the Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the Book Running Lead Manager ("**BRLM**") on its respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in.*

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON MAIN BOARD PLATFORM OF BSE AND NSE

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BLRM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). This Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**") provided that our Company and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLM allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds.

Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders of which one-third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 2,00,000 and up to ₹10,00,000 and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 10,00,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Portion in accordance with SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account, and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID and UPI ID available (for UPI Bidders) in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These demographic details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/ Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders'/Applicants' sole risk.

Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with the notification issued by Central Board of Direct Taxes notification dated February 13, 2020 and read with press releases dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, investors are requested to see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 203 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 394 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹ 5000.00 divided into 10,00,00,000 Equity Shares of face value of ₹5 each. The issued, subscribed and paid-up Equity share capital of our Company is ₹ 3737.09 divided into 7,47,41,742 Equity Shares of face value of ₹ 5 each. For details of the capital structure of our Company, see ***"Capital Structure"*** on page 91 of the RHP.

NAMES OF THE INITIAL SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The names of the initial signatories of the Memorandum of Association of our Company along with their allotment are: Allotment of [•] equity share of face value of ₹ 5 each to Pravinkumar Brijendra Kumar Agarwal, PKH Ventures Limited and Makindian Township Private Limited respectively. For details of the share capital history and capital structure of our Company see ***"Capital Structure"*** on page 91 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares offered through the RHP are proposed to be listed on the Stock Exchanges being BSE and NSE. For the purposes of the Offer, BSE Limited is the Designated Stock Exchange. Our Company has received In-Principle approval letter dated August 19, 2024 from NSE and BSE for listing of its Equity Shares. A signed copy of the RHP and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents that will be available for inspection from the date of the RHP up to the Bid/Offer Closing Date, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 394 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities stated in the Offer Document. The investors are advised to refer to page 341 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (the Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE'.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the RHP. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 33 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CORPWIS CORPORATE WISDOM **Corpwis Advisors Private Limited** G-07, Ground Floor, The Summit Business Park (Omkar), Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, 400093 Maharashtra, INDIA. **Tel. No.:** +91 22 4972 9990; **Email:** ipo@corpwis.com **Website:** www.corpwis.com; **Investor Grievance e-mail:** investors@corpwis.com **Contact Person:** Mr. Nikunj Kanodia; **SEBI Registration. No.:** INM000012962	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 810 811 4949; **Email:** garudaconstructions.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in; **Investor grievance e-mail:** garudaconstructions.ipo@linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan; **SEBI Registration No.:** INR000004058	**Aaushi Batheja** **Company Secretary and Compliance Officer of our Company.** 201, A Wing, Fortune 2000, C -3 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra **Tel:** +91 22 7963 5174; **E-mail:** compliance@garudaconstructionengineering.com **Website:** www.garduaconstructionengineering.com Bidders may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the ***"Risk Factors"*** on page 33 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and is available on the websites of the BRLM, Corpwis Advisors Private Limited at www.corpwis.com, the website of the Company, Garuda Construction and Engineering Limited at www.garduaconstructionengineering.com and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and for NSE Limited at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, **GARUDA CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED:** Tel: +91 22 7963 5174; **BRLM:** Corpwis Advisors Private Limited, Tel. No.: +91 22 4972 9990 and **Syndicate Members:** Alacrity Securities Limited, Tel. No.: +91 9594499983/ +91 9320021554 and Swastika Investmart Limited, Tel. No.: 0731-6644244 and at selected locations of Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION AND REFUND BANK: HDFC Bank Limited. | **PUBLIC OFFER BANK:** ICICI Bank Limited.
SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited and ICICI Bank Limited.
UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

Place: Mumbai
Date: September 30, 2024

For **GARUDA CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Aaushi Batheja
Company Secretary & Compliance Officer

GARUDA CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the red herring prospectus dated September 28, 2024 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the BRLM i.e., Corpwis Advisors Private Limited at www.corpwis.com, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.garduaconstructionengineering.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled ***"Risk Factors"*** on page 33 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision and instead should place reliance on the RHP.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws in the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions", as defined in, and in compliance with, Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made

CONCEPT

www.readwhere.com